न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–   74 / 2023

स्टेट जरिये श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

–:बनाम:–

उतमचन्द पुत्र पन्नेचन्द (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः–वेलकम सेन्टर, वार्ड नं. 15, मैन बाजार, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–वार्ड नं. 21, गोदारा मार्केट के पास, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः–

1. श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री छगनलाल सिढ़ाना, अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांक :–31.01.2025

प्रार्थी श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव दिनांक 07.07.2022 को समय प्रातः 11.00 बजे खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित मैसर्सः–वेलकम सेन्टर, वार्ड नं. 15, मैन बाजार, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर उतमचंद पुत्र पन्नेचंद (मालिक एवं विक्रेता) निवासी–वार्ड नं. 21, गोदारा मार्केट के पास, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त दुकान पर एक लीटर वजनी प्लास्टिक सील्ड बोतल सरसों तेल (मटका ब्राण्ड) के लगभग 50 नग आमजन को बिक्री वास्ते रखा हुआ था। उक्त सरसों तेल में मिलावट का शक होने पर गवाहन की उपस्थिति में विक्रेता को फार्म नं. 05 ए देकर सूचित करते हुये उक्त स्थल पर रखे हुये सरसों तेल (मटका ब्राण्ड) में से 01 लीटर वजनी 04 मूल सील्ड बोतल सरसों तेल (मटका ब्राण्ड) वास्ते नमूना जांच खरीदा। उक्त खरीदशुदा सरसों तेल (मटका ब्राण्ड) की कीमत विक्रेता को 560/–रूपये का नकद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 01 लीटर वजनी 04 मूल सील्ड बोतल सरसो तेल (मटका ब्राण्ड) को अलग–अलग चार जगह बांधकर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एके–2269 दर्ज कर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाया। प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं0 एके–2269 जो डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों बोतलों पर नीचे से ऊपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर से नीचे एवं दोनो साइडों पर सील चपड़ी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतिया एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, सुनकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया सरसो तेल (मटका ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ होना पाया गया। उक्त पत्रांक मय जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 5026–27 दिनांक 10.03.2023 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। प्रकरण में मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ सरसो तेल (मटका ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:06:05 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

52 में निर्धारित है। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस की गई कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार नमुना मिसब्राण्डेड पाया गया है जिसमें मिसब्राण्डेड का आधार क्या है, रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि मिसब्राण्डेड का निर्धारण किस आधार पर व किन मापदण्डों पर किया गया है। नमुना लेने की प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा और मानक नियम–2011 के नियम 2.4.1 में दिया गया है, जिसका टाईटल है "नमुना लेने के लिये प्रक्रिया और विश्लेषण के लिये भेजने का तरीका"। इस नियम में दी गई प्रक्रिया का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया। जिसका लाभ अप्रार्थी को दिया जाना विधिसम्मत है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में Method of the test used कहीं भी नहीं बताया गया है। इन एफ.एस.एल. रिपोर्टस की जांच करने से यह कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं होता कि जांच के लिये क्या नमूना लिया गया, कितनी मात्रा में लिया गया व कितनी मात्रा में क्या–क्या तत्व पाये जाने चाहिये, उनका प्रतिशत कितनी मात्रा पर कितना प्रतिशत होना आवश्यक है। यह इस रिपोर्ट पर कहीं भी दर्शित नहीं हो रहा है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त परिवादपत्र को खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये सरसो तेल (मटका ब्राण्ड) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded सरसो तेल (मटका ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:06:05 IST
Reason: SelfAttested